

दिनांक

टी0ए0 मिस केस सं0 168/2018-19

आदेश

अभ्युक्ति

03 08
19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सादो सुन्डी, पिता- स्व0 सेलाय सुन्डी, ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- नरसन्डा, थाना- 649, खाता नं0- 109, प्लॉट नं0- 1955, रक्बा- 0.09½ एकड़ भूमि क्रेता सोमाय अंगरिया, पिता- स्व0 महानायक अंगरिया, ग्राम- मुरहातु, थाना- मुफसिल के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 518, दिनांक- 31.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चिकित्सा एवं धरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता सोमाय अंगरिया, पिता- स्व0 महानायक अंगरिया, ग्राम- मुरहातु, थाना- मुफसिल, के पास 2,50,000.00/- (दो लाख पचास हजार) रूपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.60 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक सादो सुन्डी, पिता- स्व0 सेलाय सुन्डी, ग्राम- नरसन्डा, क्रेता सोमाय अंगरिया, पिता- स्व0 महानायका अंगरिया, ग्राम- मुरहातु, थाना- मुफसिल के पास 2,50,000.00/- (दो लाख पचास हजार) रूपये में मौजा- नरसन्डा, थाना- 649, खाता नं0- 109, प्लॉट नं0- 1955, रक्बा- 0.09½ एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।